

मध्यप्रदेश शारांग  
गृह(पुलिस)विभाग  
मंत्रालय वल्लभगांगन

//आदेश//

भोपाल दिनांक 26 मार्च 2011

कांग्रेस एफ 3-14/2009/बी-3/दो, राज्य शारांग एतद द्वारा इस विभाग के समर्पण्यक आदेश दिनांक 2 जून 2010 के द्वारा बैकों एवं अन्य व्यवसायिक संस्थानों तथा गिजी व्यक्तियों को प्रदाय किये जा रहे रथाई एवं अस्थाई पुलिस गार्ड आरक्षक रो प्रधान आरक्षक तक की दरे वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित की गई थी। एतद द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए आरक्षक रो निरीक्षक रतर के पुलिस अधिकारियों के लिए निम्नानुसार राशोधित दरें निर्धारित की जाती है:

राठको	पदनाम	स्थाई तौर पर प्रदाय गार्ड के लिये प्रति व्यक्ति वार्षिक दर	अस्थाई तौर पर गार्ड के लिये प्रति व्यक्ति दैनिक दर
1	2	3	4
1	निरीक्षक	7 50 लाख	3100 रुपये
2	उप निरीक्षक	6 25 लाख	2600 रुपये
3	राहायक उप निरीक्षक	4 50 लाख	2500 रुपये
4	प्रधान आरक्षक	4 25 लाख	1700 रुपये
5	आरदाक	4 00 लाख	1600 रुपये

2 ये दरे वेतन गत्ते आदि के राथ पेशान/अवकाश वेतन/आर्स/एयुनेशन, बिजली, पानी आदि के समस्त खर्चों को शामिल कर निर्धारित की गई है।

3- बिना पद की स्वीकृति प्रदाय किये जा रहे गार्ड को अस्थाई रूप में माना जायेगा।

4 उपरोक्त दर वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए निर्धारित की गई है।


5- प्रदाय गार्ड के लिए गुगतान छागाही तौर पर अग्रिम के रूप में प्राप्त किया जायेगा, परन्तु इसके साथ एक वर्ष की राशि बैंक गारटी के रूप में जमा करना होगी।

6 वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं इसके बाद के लिए वित्त विभाग की सहमति रो प्रतिवर्ष के लिए दर गृह विभाग द्वास 31 दिसम्बर तक निर्धारित की जायेगी।

7-- उक्त व्यवरथा ऐसी अन्य सभी रांथाओं के लिए भी लागू होगी जहां विना कीगत के अथवा अन्य तरीके से निर्धारित दरों पर पुलिस बल उपलब्ध कराने की कोई संवैधानिक/अनुबंध अंतर्गत बाध्यता नहीं है।

8-- यह स्वीकृति वित्त विभाग के यूओ० क्र० 432/326/ब-८/चार/11, दिनांक 25.03.2011 द्वारा प्राप्त सहगति के परिप्रेक्ष्य में जारी की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुराग

  
(अनिल कुमार)  
AC अपर सचिव  
गोप्र० शासन गृह(पुलिस)विभाग

पृष्ठांकन क्र. एफ ३ 14/2009/बी-३/दो

भोपाल दिनांक 26 अर्च, 2011

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की ओर रूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषितः

1. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल।
2. प्रगुच्छ सचिव, गोप्र० शारान, वित्त विभाग, मत्रालय भोपाल।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश गवालियर।
4. आयुक्त कोष एवं लेखा पर्यावास भवन भोपाल।
5. नार्ड फाईल रांधारण।

  
अपर सचिव  
AC गोप्र० शासन गृह(पुलिस)विभाग